न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 61/2018

वादी :– धर्माराम पुत्र श्री लच्छाराम जाति सीरवी (सोलंकी) निवासी लक्ष्मण सागर, कृषक नगर स्कूल के पास, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तुलछाराम पुत्र लच्छाराम, जाति सीरवी, निवासी लखावतों का बेरा कृषक नगर स्कूल के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. दुर्गाराम पुत्र लच्छाराम
3. जयराम पुत्र लच्छाराम के कायम मुकाम्
   3/1 तेजाराम पुत्र जयराम
   3/2 रेखा पुत्री जयराम
   3/3 गेनादेवी पत्नी जयराम
   जातियान सीरवी निवासीगण लक्ष्मणसागर, कृषक नगर स्कूल के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
4. गजेन्द्र पुत्र कालूराम
5. दिनेश पुत्र कालूराम
6. चन्द्रप्रकाश पुत्र कानाराम
7. नेमाराम पुत्र कानाराम
8. तीजीदेवी पत्नी कानाराम
9. मांगीलाल पुत्र जोगाराम
10. मलाराम पुत्र पुरखाराम
11. मोहनराम पुत्र पुरखाराम
12. तुलछाराम पुत्र पुरखाराम
13. राकेश पुत्र मलाराम जातियान सीरवी निवासीगण लखावतों का बेरा कृषक नगर स्कूल के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
14. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे./एस.बी.आई. बिलाड़ा
15. सचिव, सहकारी भूमि विकास बैक बिलाड़ा
16. तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 2, 6, 9 से 12 की ओर से श्री संजय कुमार चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 16 सरकारी पैरोकार
प्रतिवादी संख्या 1, 3/1 से 3/3, 4, 7, 8 व 13, 14, 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय **दिनांक** :– 24/07/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा बिलाड़ा चक नं. 3 में वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारीसुदा की भूमि खसरा नम्बर 215 रकबा 8 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 216 रकबा 85 बीघा 03 बिस्वा किस्म चाही पंचम कुल खसरा 2 कुल रकबा 85 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 से 8 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 14 का 1/2 हिस्सा स्थित है एवं वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 194/4 रकबा 20 बीघा, खसरा नम्बर 192/5 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा, स्थित है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4–1/4 हिस्सा स्थित है। समय के साथ जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण ने समय–समय पर करीब 20 वर्षो पहले आपसी रजामन्दी से आपस में मिल बैठकर मौके पर नाप चौप

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कर बंटवाड़ा किया गया, जिसमें वाद मे वर्णित खसरा नम्बर 194/4 व खसरा नम्बर 192/5 कुल रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हिस्से में रखा गया। जो नजरी नक्शा मार्क एक्स में मार्क ए स्थान वादी, बी स्थान प्रतिवादी संख्या 2, सी स्थान प्रतिवादी संख्या 3 एवं डी स्थान शामलाती सड़ा व रहवासीय बेरा हेतु रखा जाकर बंट में दिया गया। खसरा नम्बर 194/4 व खसरा नम्बर 192/5 में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने सुधार कार्य करवाकर भूमि को उपजाउ बनाया तथा बेरा व मकान का निर्माण करवा स्थाई रूप से उक्त भूमि में रहवास करते आ रहे है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 215 व 216 कुल रकबा 85 बीघा 11 बिस्वा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/6 हिस्सा में से नजरी नक्शा वाई में मार्क 'ए' स्थान वादी के हिस्से में तथा मार्क 'ई' स्थान प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रखा गया है। इसी प्रकार उक्त भूमि में मार्क 'एफ' स्थान प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के हिस्से में तथा मार्क 'जी' स्थान प्रतिवादी संख्या 9 से 13 के हिस्से में रखा गया है तथा मार्क एच स्थान शामलाती सड़ा रहवासीय उपयोग, कुआ एवं रास्ता हेतु छेडी गई भूमि है। जिसमें वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 भी इसी हिस्से में रहवास करते है अर्थात वादी संख्या 1 को खसरा नम्बर 194/4 व खसरा नम्बर 192/5 में आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़े में हिस्सा नही रखा गया तथा वादी को खसरा संख्या 216 में कम आई भूमि के बदले नजरी नक्शा मार्क वाई के मार्क ए स्थान वादी के हिस्सो में दिया गया तथा शेष हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रखी गयी। वादी आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाने का कानूनी अधिकारी है तथा नजरी नक्शा एक्स व वाई की भूमि बीजासनी जाने वाली सड़क के दोनो ओर आमने सामने स्थित है। आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा अनुसार प्रतिवादीगण को मना करने का कोई आधार नही है। आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा नजरी नक्शा एक्स व वाई में मार्क अनुसार अलग–अलग हिस्सा खातेदार घोषित करवाकर बंटवाड़े करवाने का वादी अधिकारी है। इसलिए वाद की ओर से आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा अनुसार संलग्न नजरी नक्शा एक्स व वाई के अनुसार के घोषणा व बंटवाड़ा हेतु पेश किया। वादी आपसी सहमति अनुसार बंटवाड़ा करने के बाद अपनी हिस्सा भूमि में खाद व मिटटी डालकर उपजाउ बनवाया एवं उक्त भूमि खारच भूमि की तारीफ में आती थी परन्तु समय के साथ मन में बदलाव आने से प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति अनुसार मौके पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करने से मना कर दिया एवं मौके की स्थिति में किसी भी समय कच्चा पक्का निर्माण इत्यादि कर बदलाव कर वादी के हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है। ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार नही है। इसलिए वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया।

अन्त में निवेदन किया कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वाद के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में वाद में संलग्न नजरी नक्शा मार्क एक्स व व़ाई में दर्शाये आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा अनुसार अलग–अलग हिस्सा घोषित किया जाकर अलग–अलग बंटवाड़ा किये जाने तथा राजस्व रेकर्ड में आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया जावे। तथा वाद के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादी के बंट में स्थित भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी उत्पन्न नही करे ओर न ही किसी अन्य से करावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 16.08.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और कस्बा बिलाडा चक 3 तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 215 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 216 रकबा 85 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 192/5 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 194/4 रकबा 20 बीघा का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	जयराम पुत्र लच्छाराम हि. 1/3, दुर्गाराम पुत्र लच्छाराम हि.1/3, धर्माराम पुत्र लच्छाराम हि. 1/3 सा. देह खातेदार	192/5	0.2427
2	जयराम पुत्र लच्छाराम हि.पूर्ण(फौत) कायम मुकाम वाद अनुसार (तेजाराम पुत्र जयराम, रेखा पुत्री जयराम, गेनादेवी पत्नी जयराम)	192/4	1.1240
		192/4	0.2657
		192/5	0.2428
3	दुर्गाराम पुत्र लच्छाराम हि.पूर्ण	192/4	0.5002
		192/4	0.4515
		192/5	0.6808
4	धर्माराम पुत्र लच्छाराम हि0 पूर्ण	192/4	0.6363
		192/4	0.2583
		192/5	0.1443
5	धर्माराम पुत्र लच्छाराम हि.पूर्ण	216	0.5936
6	चन्द्रप्रकाश पुत्र कानाराम हि. 3827/65917, तुलछाराम पुत्र लच्छाराम हि. 14155/131834, तुलछाराम पुत्र पुरखाराम हि . 3827/65917, तीजीदेवी पत्नी कानाराम हि. 3827/65917, दिनेश पुत्र कालूराम हि. 11481/131834, नेमाराम पुत्र कानाराम हि. 3827/65917, मलाराम पुत्र पुरखाराम हि. 26789/131834, मांगीलाल पुत्र जोगाराम हि. 15308/131834, मोहनलाल पुत्र पुरखाराम हि. 15308/131834, राकेश पुत्र मलाराम हि. 3827/131834, राजेन्द्र पुत्र कालूराम हि. 5740/65917, सोहनीबाई पुत्री लच्छाराम पत्नी हरजीराम हि. 1435/65917	216	13.1834

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

7	चन्द्रप्रकाश पुत्र कानाराम हि. 1/8, तुलछाराम पुत्र लच्छाराम हि. 7/48, तुलछाराम पुत्र पुरखाराम हि. 1/18, तीजीदेवी पत्नी कानाराम हि. 1/18, दिनेश पुत्र कालूराम हि. 1/12, नेमाराम पुत्र कानाराम हि. 1/18, मलाराम पुत्र पुरखाराम हि. 7/36, मांगीलाल पुत्र जोगाराम हि. 1/9, मोहनलाल पुत्र पुरखाराम हि. 1/9, राकेश पुत्र मलाराम हि. 1/36, राजेन्द्र पुत्र कालूराम हि. 1/12, सोहनीबाई पुत्री लच्छाराम पत्नी हरजीराम हि. 1/48	215	0.0647

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बरना तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 85 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 215 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 194/4 रकबा 20 बीघा, खसरा नम्बर 192/5 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा के सम्बंध में प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 17.05.2024 के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण के वाद डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 24/07/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी :– धर्माराम पुत्र श्री लच्छाराम जाति सीरवी (सोलंकी) निवासी लक्ष्मण सागर, कृषक नगर स्कूल के पास, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तुलछाराम पुत्र लच्छाराम, जाति सीरवी, निवासी लखावतों का बेरा कृषक नगर स्कूल के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. दुर्गाराम पुत्र लच्छाराम
3. जयराम पुत्र लच्छाराम के कायम मुकाम्
   3/1 तेजाराम पुत्र जयराम
   3/2 रेखा पुत्री जयराम
   3/3 गेनादेवी पत्नी जयराम
   जातियान सीरवी निवासीगण लक्ष्मणसागर, कृषक नगर स्कूल के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
4. गजेन्द्र पुत्र कालूराम
5. दिनेश पुत्र कालूराम
6. चन्द्रप्रकाश पुत्र कानाराम
7. नेमाराम पुत्र कानाराम
8. तीजीदेवी पत्नी कानाराम
9. मांगीलाल पुत्र जोगाराम
10. मलाराम पुत्र पुरखाराम
11. मोहनराम पुत्र पुरखाराम
12. तुलछाराम पुत्र पुरखाराम
13. राकेश पुत्र मलाराम जातियान सीरवी निवासीगण लखावतों का बेरा कृषक नगर स्कूल के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
14. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे./एस.बी.आई. बिलाड़ा
15. सचिव, सहकारी भूमि विकास बैक बिलाड़ा
16. तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 61/2018

<u>निर्णय</u> **दिनांक :–** 24/07/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 2, 6, 9 से 12 की ओर से श्री संजय चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1, 3/1 से 3/3, 4, 7, 8 व 13 से 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 16 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बरना तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 85 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 215 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 194/4 रकबा 20 बीघा, खसरा नम्बर 192/5 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा के सम्बंध में प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 17.05.2024 के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के वाद डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/01/24 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा